



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266650
CG-DL-E-06102025-266650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 283]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला संख्या ए डी (ओ आई) - 47/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् (I) एच ई डी पी एसिड और (II) ए टी एम पी एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. **फा.सं. 6/52/2025- डीजीटीआर** – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) के अनुसार, एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) द्वारा चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीएस एसिड को उनके सभी भौतिक रूप और सांद्रता (कंसंट्रेशन) में आयात किए जाने के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क

लगाए जाने के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष, एक आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्रत्येक संबद्ध वस्तुओं, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीएस एसिड का पाटन होने से भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, आवेदकों ने चीन जन. गण. से कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड, अर्थात् एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीएस एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है। तथापि, प्रस्तुत की गई सूचना की प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर, प्राधिकारी ने यह पाया है कि डीटीपीएमपीएस एसिड के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। अतः प्राधिकारी चीन जन. गण. से डीटीपीएमपीएस एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू नहीं कर रहे हैं। प्रस्तावित जांच चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय ऑर्गनोफॉस्फोनेट्स - फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् (I) एचईडीपी एसिड और (II) एटीएमपी एसिड (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है) के आयातों तक सीमित होगी।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. "वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कुछ ऑर्गनोफॉस्फोनेट - फॉस्फोनिक एसिड" है।" एचईडीपी एसिड, एटीएमपी एसिड और डीटीपीएमपीएस एसिड, उनके सभी भौतिक रूप और सांद्रता में, लवण, निर्माण और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर।

I. एचईडीपी एसिड

एचईडीपी एसिड अथवा एटिड्रोनिन एसिड, एक स्पष्ट, रंगहीन हल्के पीले रंग का एसिड है। इसका रासायनिक नाम 1- हाइड्रॉक्सी एथिलिडीन- 1, 1- डाइफॉस्फोनिक एसिड है, इसका रासायनिक सूत्र $C_2H_8O_7P_2$ है और उत्पाद की सीएस सं. 2809 -21- 4 है। इसे हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन -1, 1- डाइफॉस्फोनिक अम्ल, 1- हाइड्रॉक्सीएथिलिडीनडाइफॉस्फोनिक एसिड और हाइड्रॉक्सीएथिलिडीन डाइफॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद विभिन्न रूपों जैसे जलीय और क्रिस्टल के साथ-साथ विभिन्न सांद्रताओं (कंसंट्रेशन) में भी उपलब्ध है। तथापि, इस उत्पाद का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है और 60% सांद्रता में बेचा जाता है। इसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसके विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जिनमें डिटेजेंट, जल उपचार, ऑयल फील्ड, कपड़ा, कागज, व्यक्तिगत देखभाल, आरओ मैम्ब्रान और थर्मल डिसेलिनेशन एंटी स्केलेंट शामिल हैं।

II. एटीएमपी एसिड

एटीएमपी एसिड या एमिनो ट्राइमेथिलीन फॉस्फोनिक एसिड रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है। इसका रासायनिक सूत्र $N(CH_2PO_3H_2)_3$ है और इसकी सीएस सं. 6419-19-8 है। इसे एमिनो ट्राइ (मिथाइलीन फॉस्फोनिक एसिड) और ट्रिस (मिथाइलीन फॉस्फोनिक एसिड) अमीन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्पाद जलीय विलयन के रूप में और विभिन्न सांद्रताओं में उपलब्ध है। इसे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अमोनिया या अमोनियम सल्फेट और फॉर्मिलिहाइड के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक जल उपचार, ऑयल फील्ड, औद्योगिक क्लीनर, कागज और लुगदी, कपड़ा उद्योग, धातु उपचार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्याही और निर्माण रसायनों के लिए विभिन्न रासायनिक फाम्युलेशन में स्केल अवरोधक और एक कंप्लेक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।

मापन की इकाई

4. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री मीट्रिक टन में व्यक्त भार के अनुसार किया जाता है।

टैरिफ वर्गीकरण

5. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, इन वस्तुओं का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 38 के अंतर्गत भी किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का आयात टैरिफ मदों 2918, 2910, 2922, 1990, 2931, 4990, 2931, 5900, 2931, 9019, 2931, 9090, 2942, 0090, 3809, 9200 और 3824, 9900 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. आवेदकों ने वर्तमान अवस्था में किसी पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पी सी एन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड तथा संबद्ध देशों से उत्पादित एवं निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक संबद्ध उत्पाद में तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित प्रत्येक संबद्ध उत्पाद के समान विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आयातित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय है और ग्राहक संबद्ध वस्तु और समान वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड को संबद्ध देश से आयातित प्रत्येक संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

8. यह आवेदन एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड और एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और इस प्रकार, आवेदक के पास भारत में एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के उत्पादन का 100% हिस्सा है।
9. आवेदकों ने यह अवगत कराया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
10. आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदकों में से एक, एक्वाफार्म केमिकल लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था। तथापि, आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
11. इसके आलोक में, यह नोट किया जाता है कि आवेदक प्रथम दृष्टया नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और यह आवेदन प्रथम दृष्टया नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ड. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) की है। तदनुसार, क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन जन. गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर तभी किया जा सकता है, जब चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत से संबंधित सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति है। ऐसा न होने पर, चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था में लागत या मूल्य से संबंधित डेटा तीसरे देश में या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर, भारत में देय मूल्य पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत की गणना डीजीसीआई एंड एस के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर की गई है। कीमतों को कारखाना-बाह्य स्तर पर लाने के लिए उचित कीमत समायोजन किए जाने का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो सकें।

पाटन मार्जिन

17. एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से आयातित एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड को निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

एचईडीपी एसिड

19. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह स्थापित किया गया है कि आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक है। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने इस तरह के आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतों को अपनी लागत से कम कर दिया और बाजार में एक कड़ी मूल्य प्रतिस्पर्धा थी। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसे नुकसान और नकद नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग किए गए निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने में सक्षम नहीं था और इसने अपने निवेश पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया।

एटीएमपी एसिड

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह स्थापित किया गया है कि आयात से घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और महत्वपूर्ण है। विषय आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे थे। इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा। घरेलू उद्योग को नुकसान और नकदी का नुकसान हुआ। घरेलू उद्योग किए गए निवेश पर पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने में सक्षम नहीं था और इसने अपने निवेश पर नकारात्मक रिटर्न अर्जित किया।
21. अतः, यह प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के पाटन के कारण क्षति हुई है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर, जो संबद्ध देश से फॉस्फोनिक एसिड अर्थात् एचईडीपी एसिड और एटीएमपी एसिड के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव

का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी,

झ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

24. प्राधिकारी को समस्त पत्र-व्यवहार ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और ds2-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा किए जाने चाहिए, जिसके साथ ही एक-एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्व योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो प्रत्येक संबद्ध वस्तु से जुड़े हुए हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप से और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
28. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे किसी भी अद्यतन सूचना के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना/अनुरोध, नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, इस सूचना के प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्राधिकारी को ईमेल पते dd19-dgtr@gov.in और ds2-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाला नोटिस, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या संबद्ध देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में बताएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

31. जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा। इसका पालन न किए जाने पर उत्तरों/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
32. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किए गए कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना मानी जाएगी, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ या ऐसी अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, तो सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां अनुक्रमण संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचनाएं, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
36. अन्य हितबद्ध पक्षकार, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए गोपनीयता के मामलों पर अनुरोध के अगोपनीय पाठ के प्रसारित होने की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण का विवरण, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध का अगोपनीय पाठ प्रसारित न किए जाने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है, या उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2025

Case No. AD (OI)-47/2025

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids viz., (I) HEDP Acid and (II) ATMP Acid originating in or exported from China PR.

1.F. No. 6/52/2025-DGTR – An application has been filed by Aquapharm Chemical Limited and Excel Industries Limited (hereinafter referred to as ‘applicants’) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation and the imposition of anti-dumping duty concerning imports of Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids viz., HEDP acid, ATMP acid and DTPMPA acid in all their physical form and concentrations, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

2.The applicants have alleged that dumping of each of the subject goods, namely HEDP Acid, ATMP Acid and DTPMPA Acid, originating in or exported from the subject country has caused material injury to the domestic industry in India. Accordingly, the applicants have requested for imposition of anti-dumping duty on imports of Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids viz., HEDP acid, ATMP acid and DTPMPA acid from China PR. However, based on the prima facie examination of the information submitted, the Authority has noted that the domestic industry has not suffered injury due to dumping of DTPMPA acid. Therefore the Authority is not initiating the anti-dumping investigation with respect to imports of DTPMPA Acid from China PR. The proposed investigation would be limited to imports of Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids viz., (I) HEDP Acid and (II) ATMP Acid (hereinafter referred to as ‘product under consideration’ or ‘subject goods’), originating in or exported from China PR.

A.PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3.The product under consideration in the present investigation is “Certain Organophosphonates – Phosphonic Acids” viz. HEDP acid and ATMP acid, in all their physical form and concentrations, excluding salts, formulations and derivatives thereof.

I.HEDP Acid

HEDP acid or Etidronic acid, is a clear colourless to pale yellow acid. Its chemical name is 1-Hydroxy Ethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid, its chemical formula is $C_2H_8O_7P_2$ and the CAS number for the product is 2809-21-4. It is also known as Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-hydroxyethylidenediphosphonic Acid and Hydroxyethylidene Diphosphonic acid. The product is available in different forms such as aqueous and crystals, as well as in different concentrations. However, the product is largely imported and sold in the concentration of 60%. It is produced by reacting Phosphorus Trichloride with Acetic Acid. It has various applications including detergents, water treatment, oilfield, textile, paper, personal care, RO membrane and thermal desalination anti-scalant.

II.ATMP Acid

ATMP Acid or Aminotrimethylene phosphonic acid has colourless to pale yellow appearance. Its chemical formula is $N(CH_2PO_3H_2)_3$ and its CAS number 6419-19-8. It is also known as Amino Tri(Methylene Phosphonic Acid) and Tris(Methylene Phosphonic Acid) Amine. The product is available as an aqueous solution and in different concentrations. It is produced by reacting Phosphorus Trichloride with Ammonia or Ammonium salt and Formaldehyde. It is used in various chemical formulations for industrial water treatment, oilfield, industrial cleaners, paper & pulp, textile industry, metal treatment, electroplating, inks and construction chemicals as a scale inhibitor and a complexing agent.

Unit of measurement

4.The product under consideration is produced and sold in terms of weight expressed in MT.

Tariff classification

5.The subject goods i.e HEDP acid and ATMP acid are classified under Chapter 29 of Schedule 1 to the Customs Tariff Act, 1975. However, the goods are also imported under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975. The subject goods are imported under tariff items 2918 2910, 2922 1990, 2931 4990, 2931 5900, 2931 9019, 2931 9090, 2942 0090, 3809 9200 and 3824 9900. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

6.The applicants have not proposed any PCN methodology at the present stage. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within thirty (30) days from the date of initiation of this investigation.

B.LIKE ARTICLE

7.The applicants have claimed that there are no known differences in the HEDP acid and ATMP acid produced by the domestic industry and the product under consideration produced and exported from the subject countries. Each of the subject products produced by the domestic industry have comparable characteristics to each of the subject products imported from the subject country in terms of technical specifications, physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing and tariff classification. Further, each of the imported products are technically and commercially substitutable with each of the products produced by the domestic industry and the customers are using the subject goods and like article interchangeably. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, HEDP Acid and ATMP Acid produced by the applicants have been considered as 'like article' to each of the subject good imported from the subject country.

C.DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

8.The application has been filed by Aquapharm Chemical Limited and Excel Industries Limited. The applicants have claimed that there are no other domestic producers of the subject goods in India and thus, the applicants account for 100% of the production of HEDP Acid and ATMP Acid in India.

9.The applicants have stated that they are not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India.

10.The applicants have also claimed that they have not imported the subject goods during the period of investigation. The applicants have submitted that one of the applicants, Aquapharm Chemical Limited,

had imported the subject goods during the injury period. However, the applicant has not imported the subject goods during the period of investigation.

11. In view of the same, it is noted that the applicants *prima facie* constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Rules for HEDP acid and ATMP acid, and the application *prima facie* satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D.SUBJECT COUNTRY

12. The subject country for the present investigation is China PR.

E.PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation for the investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months). Accordingly, the injury investigation period will cover the period 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024 and the period of investigation.

F.BASIS FOR ALLEGED DUMPING

Normal value

14. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost or domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

15. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to other alternative methods for HEDP acid and ATMP acid are not available. The normal value has been, thereby, determined considering the price payable in India, based on the best estimates of the cost of production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses, with reasonable profits.

Export price

16. The export price for the HEDP acid and ATMP acid has been computed based on the DGCI & S transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

Dumping margin

17. The normal value and export price of HEDP Acid and ATMP Acid have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration imported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that HEDP Acid and ATMP Acid imported from the subject country are being dumped by the exporters in the Indian market.

G.INJURY AND CAUSAL LINK

18.Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have provided *prima facie* evidence establishing that dumping of the product under consideration have caused injury to the domestic industry, as is noted hereinbelow.

HEDP Acid

19.Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence establishing that the imports have caused material injury to the domestic industry. The dumping margin is more than de minimis. Further, it has been claimed that the domestic industry reduced its prices below its costs in order to compete with such imports and there was a stiff price competition in the market. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry and it suffered losses and cash losses. The domestic industry was not able to earn sufficient returns on the investments made and it earned negative returns on its investment.

ATMP Acid

20.Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence establishing that the imports have caused material injury to the domestic industry. The dumping margin is more than de minimis and is significant. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry during the period of investigation. This created a strain on the prices of the domestic industry. The domestic industry suffered losses, and cash losses. The domestic industry was not able to earn sufficient returns on the investments made and it earned negative returns on its investment.

21.Therefore, there is sufficient *prima facie* evidence that the domestic industry suffered injury due to dumping of Phosphonic Acids viz., HEDP Acid and ATMP Acid from the subject country.

H.INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

22.On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating dumping of Phosphonic Acids viz., HEDP Acid and ATMP Acid from the subject country, injury to the domestic industry and a causal link between such dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I.PROCEDURE

23.The principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed in the present investigation.

J.SUBMISSION OF INFORMATION

24.All communication should be sent to the Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and ds2-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultan-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

25. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with each of the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

28. Interested parties are further advised to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) for any updated information as well as further processes related to the investigation.

K.TIME LIMIT

29. Any information/submission relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and ds2-dgtr@gov.in, with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultan-dgtr@govcontractor.in, within thirty (30) days from the date of receipt of this notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the subject country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

30. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L.SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

31. Where any party makes any confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions.

32. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of

other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34.The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

35.The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

36.Other interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed in the submissions by an interested party within seven (7) days from the date of circulation of the non-confidential version of the submission.

37.Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

38.The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

39.The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M.INSPECTION OF PUBLIC FILE

40.A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to consideration of an interested part as non-cooperative.

N.NON-COOPERATION

41.In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative, record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority